

## संक्षेप

### प्रतिष्ठान प्राविधिक शिक्षा परिषद

#### उत्तर प्रदेश राजपटन

संख्या:- प्राविधिक-परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

संख्या:- दिनांक:- 12-09-2023

#### (कार्यालय स्तर:-)

प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्ण से संघटित विनियोग-स्थरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजपटन से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संख्या: दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजपटन द्वारा सत्र 2023-24 हेतु नियुक्तित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश सामग्री हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं नाम : 1911-DEPARTMENT OF PHARMACY MEERUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्रम	पाठ्यक्रम का नाम	प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन प्राप्त सामग्री	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन प्राप्त सामग्री
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश राज्य के पत्र संख्या 311/16-10909/2023 दिनांक 16 मई 2023 द्वारा पूर्ण से संघटित संस्थान संस्थाओं की ओर से परिषद कार्यालय में पंजीकृत किए गए संख्या 0627/2023 में प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें पूर्ण से पालन करेगी।
- ✓ प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मासिक के अनुसार संस्थान में सम्बद्धता समिति (शुक्र, मंगल, बुध, गुरुवार) आदि सम्बद्धता है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन 1992, विनियमन 2003, संस्था विनियमन 2016 तथा संस्था-संस्था पर निर्णय सामग्री के अनुक्रम में शर्तें तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक वर्ष के लिए भरे जाएंगे। संस्था के प्रतिष्ठान प्रशासकों में शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-संस्था पर संस्था द्वारा निर्णय किये जाने वाले सम्बद्धता सामग्री होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिष्ठान समिति द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु शर्तों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शर्तों की मर्यादाएं रहे लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करनी करेगी प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था की संस्था-संस्था पर निर्णय सामग्री के अनुसार निर्देशना एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्णय विनियमन 1992/विनियमन 2003/विनियमन 2016 पर निर्णय, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, विनियमन, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के निर्णय करनी है।

- ✓ यदि संस्था का उचित आचार्य समन्वयी शिक्षा परिषद्/कार्यकारी समिति और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था का/कार्यकारी संस्था का द्वारा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था तथा अनुमोदनी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त कार्यकारी परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित संस्था के विषय की सभी कार्यवाही द्वारा किया जाता है तथा कार्यवाही के संबंध में सा. अनुमोदन द्वारा किसी प्रकार की जटिलता संबंधी अंतिम निर्णय किया जाता है। जो संस्था जटिलता संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त कार्यकारी परिषद, उत्तर कार्यकारी समिति द्वारा प्रेषित वर्ष के लिए अनुमोदन प्रेषित किया है। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् उचित आचार्य समन्वयी शिक्षा परिषद्/कार्यकारी समिति और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को अनुमोदन प्राप्त हुआ अन्यथा उन्हें संस्था की अनुमोदन प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उचित कार्यकारी संस्था द्वारा प्रेषित है। उचित-समय पर निर्णय सर्वोच्च आचार्य समिति का अनुमोदन प्राप्त कर/करनी होगा।
- ✓ संस्था को उचित कार्यकारी तथा प्राथमिक शिक्षा के सुधारण कार्यवाही पर संस्था की संस्था सुधारण जैसे संस्था की प्राथमिक शिक्षा सुधारण, संस्था, कार्यकारी, अनुमोदन, कार्यकारी समिति जैसे कार्य सुधारण, कार्यकारी समिति और कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-निर्देशक है। उचित कार्यकारी समिति द्वारा प्रेषित कार्यवाही के साथ प्रेषित कार्यवाही के संबंध में संस्था अनुमोदन प्राप्त कर/करनी होगी।
- ✓ संस्था को अनुमोदन है। जो कि संस्था में प्रस्तावित/कार्यकारी कार्यवाही को करनी जैसे है। प्रेषित कार्यवाही के संबंध में अनुमोदन प्राप्त कर/करनी होगी। अनुमोदन, कार्यकारी, अनुमोदन कार्यवाही का यदि संस्था द्वारा किया अन्य कार्यवाही के संबंध में प्रेषित किया जाता है और परिषद को इसकी अनुमोदन होगी है कि संस्था अनुमोदन का प्रेषित किया अन्य कार्यवाही के लिए कर रही है जो संस्था द्वारा की अनुमोदन प्राप्त कर/करनी होगी।
- ✓ कार्यकारी प्राथमिक शिक्षा (कार्यकारी और अनुमोदन), संस्थाओं का अनुमोदन किया जाता है। निर्देशक/कार्यकारी, 2020 के प्राथमिक/कार्यकारी परिषद की कार्यवाही पर प्रेषित कार्यवाही, कार्यकारी और कार्यकारी को परिषद को परिषद के संबंध में कार्यवाही के लिए परिषद के अधिकाधिक प्रेषित।
- ✓ संस्था के उचित कार्यकारी समिति के द्वारा यदि संस्था में सुधारण, अनुमोदन, अनुमोदन एवं अन्य कार्यकारी समिति द्वारा प्रेषित/कार्यकारी परिषद के कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रेषित कार्यवाही है। जो संस्था की अनुमोदन प्राप्त कर/करनी होगी।
- ✓ अनुमोदन कार्यवाही का अनुमोदन न किया जाता प्रेषित कार्यवाही का अनुमोदन किया जाता है। प्रेषित से निर्देशक/कार्यकारी अनुमोदन/कार्यकारी कार्यवाही को करनी होगी।



(अनील कुमार सिंह)

सचिव

पृष्ठ सं- प्राथमिक/परिषद संख्या/2023/12090002-1209-1230

दिनांक: 12-09-2023

व्यक्तिगत:-

पता/कार्यकारी/निर्देशक DEPARTMENT OF PHARMACY MEERUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY



Principal  
Department of Pharmacy  
MIT, Meerut



(अनील कुमार सिंह)

सचिव

**कार्यालय,**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश संखनऊ।**

संख्या:- प्राविधि/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

संखनऊ: दिनांक: 30/06/2022

**आर्पितव प्राप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 संखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 संखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1911-DEPARTMENT OF PHARMACY MEERUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, रीसेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजीए पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के प्रावधान में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाकर आवश्यक होगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

  
Principal  
Department of Pharmacy  
MIT, Meerut

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, अदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन मिलना किना जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दाखल स्टेट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु सगण-सामग्य पर निर्गत सर्वोत्तम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ, भूमि, स्टाफ, साक-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रसमाज शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविक्षण हेतु उपयुक्त सातावरण उपलब्ध कराने के साथ दैगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति तो समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साक-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

पू०सं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DEPARTMENT OF PHARMACY MEERUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY

  
Principal  
Department of Pharmacy  
MIT, Meerut

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

**कार्यालय**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ**

संख्या- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक- 08/08/2021

**कार्यालय तार:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय काउन्सिलर और इन्फिन्स, नई दिल्ली द्वारा हीमरा सं 2021-22 हेतु विन्सोस राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सं 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश सामग्री वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हुए सं 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सं 2021-22 हेतु विन्सोसित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश शर्तों हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1911-DEPARTMENT OF PHARMACY MEERUT INSTITUTE OF TECHNO, MEERUT**

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा सं 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश शर्त	परिषद द्वारा सं 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश शर्त
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 में मेरुट विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण अधिनियम द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इकाई पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्यक्रमों हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सफल द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारनादेश प्रकाशित होंगे, और लट्ठानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फेरित निर्धारण समिति द्वारा सन् 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की सर्वोच्चतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीर्ष के रिजल्ट पर जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सारनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क उचित करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०टी०आई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदित प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

  
Principal  
Department of Pharmacy  
MIT, Meerut

संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविद्यार्थी/प्रविधिविद्यार्थी/साक्षात्कार/निर्देशी एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विधिविद्यार्थी, प्रविद्यार्थी, निर्देशी एवं प्राचार्य बनने के लिये कार्य होगी।

- ✓ दिल्लीमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. सेंटेर दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का होगा और प्राविधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सेंटेर वाद टायर किया जाता है तथा टायर वाद के संबंध में जो व्यापारिक दस्ता किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रदेश परीक्षा हेतु कन्डिनिशिंग कार्य होने से पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उन्हें प्रदेश की (कन्डिनिशिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक स्थिति, भूमि, स्टाफ, राज-सूचना, उपकरण, प्रदान किया जाने वाला सुलभ, छात्रवृत्ति सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ निर्गत रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघालित पाठ्यक्रम को प्रदान करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये प्रविद्यार्थी, भूमि-समय, कर्मीधर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के नवीन निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, स्टाफ, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-सूचना ए0आई0पी0आई0पी0आई0/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमनुसार अद्वारक/अन्य कार्यवाही की जायेगी।

(मुनीश कुमार सोनकर)

अधिर

पू0सं0- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/3838-4809

दिनांक: 06/08/2021

प्रतिलिपि -

प्रधानाचार्य/निदेशक, DEPARTMENT OF PHARMACY MEERUT INSTITUTE OF TECHNO, MEERUT

  
Principal  
Department of Pharmacy  
MIT, Meerut

  
(मुनीश कुमार सोनकर)

अधिर